क्या कृषि लाभदायक है?

लक्ष्मण सिंह
पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक

कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि कृषि को लाभदायक बनाया जाएगा. क्या ऐसा हुआ, और अगर नहीं तो क्या कारण रहे? इन सभी पहलुओं पर विचार करना और चुनाव में मतदान करने से पहले, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर मतदान करना अति आवश्यक है . केवल नारों या मीडिया प्रचार के भरोसे मतदान को नहीं छोड़ा जा सकता. अगर हम म.प्र. की चर्चा करें तो हमारे प्रदेश में 44त्न वन भूमि है, जहां खेती नहीं हो सकती और जो करते हैं, उनकी फसल जंगली जानवर खा जाते हैं और किसान घाटे में ही रहता है क्योंकि खेती के अन्य खर्चे, लाभ से कहीं ज्यादा हैं. म.प्र. में जितनी भी जमीन पर खेती होती है, क्या वो लाभप्रद है? शायद नहीं हालांकि वर्षों से हम खेती को लाभ का धंधा बनाने के नारे सुनते आ रहे हैं. आइए इसकी समीक्षा करते हैं.

विद्युत समस्या- मध्यप्रदेश में बिजली की दरें, अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा हैं, जबकि अधिकांश विद्युत उत्पादन हमारा पन बिजली से होता है जो सबसे सस्ती बिजली है. तो क्या कारण है कि बिजली इतनी महंगी है? यह इसलिए है कि विद्युत मंडल में बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है . मैं स्वयं प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष रहा हूं, और विद्युत विभाग की समीक्षा जब समिति ने करी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण विभाग में माननीय सदस्यों द्वारा समिति के संज्ञान में लाए गए. मैने स्वयं अध्यक्ष होने के नाते भी समिति की बैठक में रखे उसकी रिपोर्ट विधानसभा में जमा की गई लेकिन आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अब तो नई विधानसभा का गठन हो गया है तो कोई कार्यवाही की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया था उन पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें और उच्च पदों पर सुशोभित भी किया गया था.

पिछले 20 वर्षों से हर विधानसभा चुनाव में विद्युत समस्या एक मुख्य बिंदू होती है, बाकि सभी मुद्दे लगभग गौण हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि चुनाव के पहले विद्युत कर्मचारी गांव में से विद्युत ट्रांसफार्मर उतार ले जाते हैं, कारण यह बताया जाता है कुछ किसान बिल जमा नहीं कर रहे है, वह यह नहीं देखता है कि जिन्होंने बिल जमा किया है उन्हें भी हानि हो रही है. जबकि जो विद्युत बिल नहीं जमा कर रहे हैं उनका कनेक्शन काटना चाहिए . पूरे गांव की विद्युत डीपी नहीं उतरना चाहिए. विधानसभा चुनाव सर्दी में आते हैं जब किसान फसल में पानी देता है और जो उम्मीदवार उन्हें रिश्वत देकर या अपने कालेधन का उपयोग कर विद्युत डीपी लगवा देता है किसान मजबूरी में उसे वोट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सिंचाई जरूरी है.

भ्रष्टाचार जैसे अन्य विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मतदाता नहीं देखता और मतदान उस उम्मीदवार के पक्ष में दे देता है जो विद्युत डीपी लगवा देता है. अगर कोई किसान निजी विद्युत डीपी लगवाना चाहे तो उसे विभाग अनुमति नहीं देता क्योंकि वह गैर कानूनी है जबकि राजस्थान में अनुमति है निजी विद्युत डीपी लगवाने की तो मध्यप्रदेश में क्यों नहीं है. म.प्र. के चुनावों में विद्युत कर्मी और ठेकेदार चुनाव को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं. दुर्भाग्यवश कांग्रेस, जो विपक्षी दल है, उसने यह मुद्दा कभी नहीं उठाया इतना नुकसान उठाने के पश्चात भी. परन्तु मैंने उठाया था पार्टी में, जिसकी सुनवाई पार्टी ने नहीं की. अगर सौर उर्जा का उत्पाद बढ़ाई जाए और निजी विद्युत ट्रांसफार्मर रखने का कानून बनाया जाए तो इसका समाधान हो सकता है, और चुनाव अन्य विषयों को लेकर भी लड़ा जा सकता है जिन पर अभी तक चुनाव में चर्चा नहीं हुई है.

सौर ऊर्जा की योजनाएं शासन ने कई बनाई है और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी बड़ा है. परंतु लक्ष्य बहुत कम है और हितग्राहियों को बैंकों से ऋण लेने में बहुत समस्याएं आती हैं इसलिए सौर ऊर्जा का कृषि में प्रयोग लगभग नगण्य है शासन को यह निश्चित करना पड़ेगा की जिस कृषक को भी सौर ऊर्जा का पंप लगवाना है तो उसे कहीं भटकना नहीं पड़े और उसके घर पर या खेत पर जाकर सौर ऊर्जा लगाई जाए

बीज, खाद समस्या- अर्जुन सिंह जी जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में बीज निगम बनाया गया था जो किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध करवाता था. उसे बंद कर दिया गया और आज निजी कंपनियां बहुत महंगा बीज बेच रही हैं जिससे किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. शासन को चाहिए और यह उनका दायित्व है कि किसान को सस्ता बीज उपलब्ध कराया जाए. जैविक खाद का प्रयोग पर्याप्त नहीं हो रहा है क्योंकि गौशालाओं का संचालन शासन नहीं कर पा रहा है. गौशालाओं को निजी संस्थाओं को सौंपने से जैविक खाद का उत्पादन बढ़ेगा जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने में सहायक होगा. सब्जी उत्पादकों को भी अति वर्षा होने से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाती है और सब्जी का उत्पादन लघु कृषक अधिक करते हैं. कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण बिचौलिए उनकी सब्जी सस्ते में खरीद कर भारी मुनाफा कमाते हैं.

कोल्ड स्टोरेज इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है और विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है. कोल्ड स्टोरेज और लगाएं जाएं इसकी योजना बने और बिचौलियों का एकाधिकार खत्म किया जाए.

खेती को लाभप्रद बनाने हेतु- खेती से जुड़े अन्य कार्य जैसे मुर्गी पालन , मछली पालन, बकरा पालन, सूकर पालन, पशुपालन यह भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी कि खेती. इन्हें करने से भी कृषक की आय में भारी वृद्धि होगी . हिंदू धर्म इन गतिविधियों के विरुद्ध ना कभी था और ना है. क्योंकि यह आदिकाल से किया जा रहा है इन पर शासन का ध्यान नहीं है क्योंकि चंद बाबा इन्हें उचित नहीं समझते . यह नहीं होना चाहिए . इन सब विभागों के शासन के मंत्रालय हैं परंतु हितग्राहियों के लक्ष्य बहुत ही कम है इन्हें बढ़ाना चाहिए . विपक्ष इन्हें उठाता नहीं है और मसखरों की तरह व्यवहार करता है .

हाल ही में विधानसभा में पुलिस की वर्दी पहनकर विधायक सदन में पहुंच गए. सदन का बहुमूल्य समय चर्चा में लगाना चाहिए ना की नाटक, नौटंकी में. विपक्ष के सभी नेता उनके अक्षम, दिशाहीन, भ्रष्ट पार्टी के नेतृत्व को खुश करने में ज्यादा समय देते हैं . अब तो किसान संगठनों को और अन्य दलों को आगे आकर इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना पड़ेगा और तब ही हम कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं .

दुग्ध पर आधारित उद्योगों की कमी

अगर हम म .प्र . के किसानों की तुलना गुजरात या अन्य राज्यों से करें जहाँ दुग्ध पर आधारित उद्योग हैं, तो हम देखेंगे उन राज्यों के कृषक हमसे कहीं ज्यादा संपन्न हैं . जबकि हमारी भूमि, माटी उनसे ज्यादा उपजाऊ है . हमारे यहाँ केवल सांची दुग्ध से अन्य सामग्री बनाई जाती है और निजी क्षेत्र में बहुत कम इकाई हैं और जो हैं वह प्रदेश में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाती हैं . आज वस्तु स्थिति यह है कि एक मजदूर या कारीगर जो भूमिहीन है वह लघु कृषक से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि कृषि केवल बड़े कृषकों के लिए ही लाभप्रद है जो रिश्वत देकर सब सुविधाओं का दोहन कर लेते हैं . जो एक छोटा कृषक नहीं कर पाता . हाल ही में कुंभराज कृषि मण्डी जो गुना जिले में है और प्रदेश में सबसे धनाढ्य मंडियों में गिनी जाती है . यहां पर जो किसान बैलगाडी से अनाज बेचने लाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि वह रिश्वत नहीं दे सकते . जब हम लोगों ने उनके लिए आंदोलन किया तब उन्हें अनाज बेचने की अनुमति दी गई . और आश्चर्य की बात यह है कि तहसीलदार के आदेश से उन्हें फसल बेचने से रोका गया था . यह उसका कार्यक्षेत्र भी नहीं है और यह एक भ्रष्टाचार को उजागर करता है . कई वर्षों से एक ही दल की सरकार है और इसलिए भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो गया है . विपक्ष पूर्णत : शासन बनाने में असफल है, बनी हुई सरकार भी वह नहीं चला पाए . सत्ता दल, धार्मिक मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर उनकी भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेकर वोट ले रही है . हाल में सनातन धर्म का अत्यधिक प्रचार कर वोट लिए गए थे . हम भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, परन्तु धर्म निजी होता है, राजनीतिक नहीं . और हमें ऐसे सनातन धर्म के गुरु भी नहीं चाहिए जिन्होंने समाज में भेदभाव पैदा किया है और बाबा साहब अंबेडकर जैसे नेता को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया था. क्योंकि केवल शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है विश्व में जो अज्ञानता और गरीबी दूर कर सकती है. दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे गुरु आज भी हैं जो गरीबों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, हमें उन्हें पहचान कर उनसे दूर रहना होगा . हम सनातन धर्म का सम्मान करें पालन करें परंतु ढोंगी बाबाओ से दूर रहे और जो नेता इन ढोंगी बाबाओ के शिष्य हैं उन्हें चुनाव में जीतने नहीं दें .

व्यंग्य

भैया की तमन्ना है कि दीदी.....

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

लो भैया हर साल की तरह एक बार फिर से बहन - भाई का सबसे बड़ा त्यौहार, रक्षाबंधन आ गया है. पूरी दुनिया में भैया और बहनों के लिए यदि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार कोई है तो वह रक्षा बंधन का ही त्यौहार है. यह भाई- बहनों का बहुत ही आत्मीय त्यौहार है. लेकिन इस बार राखी का त्योहार बहन-भाइयो के लिए बहुत ही खास है. भाइयों को आशा है कि इस बार दीदी से उनको कोई न कोई खास तोहफा या गिफ्ट अवश्य मिलेगा. इसका बड़ा कारण यह है कि बहनों को उनके मुख्यमंत्री भाइयों ने बहनों को प्रति महिने दी जाने वाली सम्मान राशि के अलावा रक्षा बंधन के त्यौहार पर 250 रुपए की अतिरिक्त रकम जो मंजूर की है.

बहनें सरकार से उपहार में मिली इस बड़ी भारी रकम को खर्च करने की योजना बना रही थीं. वे इस राशि से अपने लिए साड़ी, भाई -भतीजों,और अपनी छुटकी और बड़की बहनों के लिए कुछ उपहार, मिठाईयां, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर-सुंदर राखियां, पानी वाला नारियल खरीदने और पीहर में सहेलियों के साथ चाट और पानीपुरी खाने का मन ही मन प्लान बना रहीं थीं. महंगाई की वजह से उन सब पर पानी फिर गया. कोई बहन ये जोड़ घटाना कर रहीं थी, सब खर्चे के उनके पास क्या बचेगा. मायके जाने की योजना बनाते समय वे वहां होने वाले खर्च के जोड़ घटाने में लगीं थीं कि कितनी बचत होगी. वे ये सोच विचार में लगीं थी मायके में अपनी पुरानी सहेलियों के साथ कैसे मौज मस्ती करेंगी.

बाजार जाने के बाद बहनों का पता चला कि उन्हें इस बार सरकार द्वारा हर साल दी जाने वाली सम्मान निधि में 250 रुपए बढ़ने की खबरें मीडिया में आने के बाद बाज़ार में महंगाई का दिमाग़ सातवें आसमान पर जा पहुंचा. बाजार में चीजों के भाव सुनकर बहनों का दिल हुम् हुम् करने लगा. बाजार में राखी के त्योहार के पहले जो नारियल बीस रुपये का था वह भी अकड़ जा कर 40 पर जा पहुंचा है. मिठाई ने ऐसी ढिठाई दिखाई है कि उसका रेट भी ट्रंप के टैरिफ की तरह अकड़ कर 500 रुपए किलो पर जा पहुंचा. बहनों ने रक्षा बंधन पर मायके में जा कर ठाठ दिखाने का जो सपना देखा था. वह उन्हें हरण होता हुआ दिखाई दिया.

बाजार में जाने पर पर बहनों का सपना टूटा. मायके जा कर हथेलियों में मेहंदी लगाने, ब्यूटी पार्लर जाने का सोचा था.पर मेहंदी लगवाने,ब्यूटी पार्लर के भाव देख-सुन कर उनके हाथों से तोते उड़ गए. उन्हें इस माह 1500 रुपए मिलने की जो ठसक थी वह पल भर में काफूर हो गई. अखबारों में इस बारे में पूरे पेज के रंगीन विज्ञापन देख कर बहन सोचने लगी काश डोनल्ड ट्रंप की टैरिफ वृद्धि की तरह सरकार भी राखी पर दी गई रकम को भी दुगनी कर देती. पर ऐसा हो न सका.

बाजार में मोलभाव करतीं बहनें महंगाई को कोसते हुए बोलीं बहन महिलाओं से अच्छी नियत तो भाईयों की होतीं हैं. अब देखो राज्यों में जहाँ -जहां भी पुरुष मुख्यमंत्री हैं, वहां बहनों को हजार-डेढ़ हजार रुपए मिल ही रहे हैं. जहां भी लेडिस मुख्यमंत्री है वहां डब्बा गोल है. अफसोस जाते हुए दूसरी बहन बोली हां बहन महिला ही महिला की दुश्मन बन गई है. अब दिल्ली की मुख्यमंत्री को ही देख लो महिलाओं को हर महीने दो हजार का देने का वायदा किया था, पर हुआ क्या ? दो रुपल्ली भी नहीं मिले. इससे अच्छा तो पहले वाला ही था . वो कम से कम, एक पर एक फ्री तो देता था. पति टुन्न हो कर चुपचाप पड़े रहते थे. शांति रहती थी न खिचपिच न गिच पिच.

बाज़ार में छलांग भरती महंगाई की रफ़्तार ने भाई के ही नहीं उनके जीजू के सपनों पर भी पानी फेर दिया. जीजू ने सोचा था कि उन्हें भी अपनी बेबी-सोना से 100-50 रुपये मिल जाएंगे तो दुकानें बंद होने से पहले ही वे भी अपना त्यौहार का इंतजाम कर सकेंगे. लेकिन महंगाई ने सब प्लान तबाह कर दिया. भैया की तमन्ना भी महंगाई और बाजार की मुनाफाखोरी में दफन हो कर रह गई. क्या करें महंगाई डायन खाए जात है...!

विश्व का प्रथम पर्व श्रावणी उपाकर्म वैदिक काल की शाश्वत परंपरा

आचार्य टेकनारायण उपाध्याय
वरीष्ठ अर्चक, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी

उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना. धर्मगंथों में लिखा गया है-जब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, श्रावण मास के श्रवण व चंद्र के मिलन (पूर्णिमा) या हस्त नक्षत्र में श्रावण पंचमी को उपाकर्म होता है. इस अध्ययन सत्र का समापन, उत्सर्जन या उत्सर्ग कहलाता था. यह सत्र माघ शुक्ल प्रतिपदा या पौष पूर्णिमा तक चलता था. श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन रक्षाबंधन के साथ ही श्रावणी उपाकर्म का पवित्र संयोग बनता है. हमारे वैदिक धर्म में स्वाध्याय की प्रधानता और महिमा हमेशा से रही है. ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर तथा समावर्तन के समय स्नातक को आचार्य एक उपदेश देता है- 'स्वाध्यायान्मा प्रमदः' और 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्' अर्थात् अपने जीवन में कभी भी स्वाध्याय और प्रवचन (सुनने और सुनाने) से प्रमाद (आलस्य) नहीं करना. ये वाक्य केवल ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं, अपितु सब मनुष्यों पर लागू हैं.

इस पर्व का नाम श्रावणी होने के कारण यह शब्द, श्रुति व श्रवण शब्दों से जुड़ा हुआ है. श्रुति से श्रवण, श्रवण शब्द श्रावणी बनकर आज का श्रावणी पर्व अस्तित्व में आए हैं. श्रुति वेद को कहते हैं जिसका एक कारण आरम्भ में ब्रह्मचारियों को वेदों का ज्ञान श्रवण से व सुना कर कराया गया और कराया जाता रहा है. इसका सीधा संबंध वेदाध्ययन से है. चंद्र दोष से मुक्ति के लिए श्रावण पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. श्रावणी उपकर्म में पाप, उपपताका और महापताका से बचने का व्रत लिया जाता है. इसमें चोरी न करना, दूसरों की निन्दा न करना, खानपान का ध्यान रखना, हिंसा न करना, इन्द्रियों को वश में करना और सदाचारी होने के नियम सम्मिलित हैं.

सद्कर्म का संकल्प

श्रावणी पर्व पर द्विजत्व के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है . उसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ अवगाहन, दशस्नान, हेमाद्रि संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं . श्रावणी के कर्मकाण्ड में पाप-निवारण के लिए हेमाद्रि संकल्प कराया जाता है, जिसमें भविष्य में पातकों, उपपातकों और महापातकों से बचने, परद्रव्य अपहरण न करने, परनिंदा न करने, आहार-विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने , इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचरण करने की प्रतिज्ञा ली जाती है . यह सृष्टि नियंता के संकल्प से उपजी है . हर व्यक्ति अपने लिए एक नई सृष्टि करता है . यह सृष्टि यदि ईश्वरीय योजना के अनुकूल हुई, तब तो कल्याणकारी परिणाम उपजते हैं, अन्यथा अनर्थ का सामना करना पड़ता है . अपनी सृष्टि में चाहने, सोचने तथा करने में कहीं भी विकार आया हो, तो उसे हटाने तथा नई शुरूआत करने के लिए हेमाद्रि संकल्प करते हैं . ऐसी क्रिया और भावना ही कर्मकाण्ड का प्राण है . श्रावणी पर्व पर सामान्य देवपूजन के अतिरिक्त विशेष पूजन के अन्तर्गत ब्रह्मा, वेद एवं ऋषियों का आह्वान किया जाता है . ब्रह्मा सृष्टि कर्ता हैं . ब्राह्मीचेतना का वरण करने एवं अनुशासन के पालन करने से ही अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है .

विशेषकर यह पुण्य दिन ब्राह्मण समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है. भारतीय संस्कृति में द्विजत्व और ब्राह्मणत्व का संबंध किसी जाति या वर्ग विशेष में जन्म लेने से नहीं है, बल्कि वह साधना की उच्च कक्षा से जुड़े सम्बोधन हैं. इसीलिए संस्कारों से द्विजत्व की प्राप्ति की बात कही जाती रही है .

श्रावणी उपाकर्म के तीन पक्ष है प्रायश्चित्त संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय. सर्वप्रथम होता है - प्रायश्चित्त रूप में हेमाद्रि स्नान संकल्प. गुरु के सान्निध्य में ब्रह्मचारी गोदुग्ध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र तथा पवित्र कुशा से स्नानकर वर्षभर में जाने-अनजाने में हुए पापकर्मों का प्रायश्चित्त कर जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं. स्नान के बाद ऋषिपूजन, सूर्योपस्थान एवं यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं. यज्ञोपवीत या जनेऊ आत्म संयम का संस्कार है. आज के दिन जिनका यज्ञोपवित संस्कार हो चुका होता है, वह पुराना यज्ञोपवित उतारकर नया धारण करते हैं और पुराने यज्ञोपवित का पूजन भी करते हैं. इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ माना जाता है. इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आत्म संयमी है, वही संस्कार से दूसरा जन्म पाता है और द्विज कहलाता है. उपाकर्म का तीसरा पक्ष स्वाध्याय का है.

इसकी शुरुआत सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदसस्पति, अनुमति, छंद और ऋषि को घृत की आहुति से होती है. जौ के आटे में दही मिलाकर ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं. इस यज्ञ के बाद वेद-वेदांग का अध्ययन आरंभ होता है. इस सत्र का अवकाश समापन से होता है. इस प्रकार वैदिक परंपरा में वैदिक शिक्षा साढ़े पांच या साढ़े छह मास तक चलती है. वर्तमान में श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों विधान कर दिए जाते हैं. प्रतीक रूप में किया जाने वाला यह विधान हमें स्वाध्याय और सुसंस्कारों के विकास के लिए प्रेरित करता है. यह जीवन शोधन की एक अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक-आध्यात्मिक प्रक्रिया है . उसे पूरी गम्भीरता के साथ किया जाना चाहिए.

श्रावणी पर्व वैदिक काल से शरीर, मन और इन्द्रियों की पवित्रता का पुण्य पर्व माना जाता है . इस पर्व पर की जाने वाली सभी क्रियाओं का यह मूल भाव है कि बीते समय में मनुष्य से हुए ज्ञात-अज्ञात बुरे कर्म का प्रायश्चित करना और भविष्य में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देना. वर्षाऋतु के चार मास के अन्तर्गत विशेषरूप से पारायण यज्ञों का आयोजन किया जाता है. श्रावणी पर्व के अवसर पर बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते हैं जिससे वायुमण्डल सुगन्धित होकर स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर होता है.

सुप्रीम कोर्ट की 'सुप्रीम' टिप्पणी?

क्या बोलने की आज़ादी पर है खतरा?

राजीव खण्डेलवाल

भारतीय सीमा की 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है —यह टिप्पणी राहुल गांधी ने गलवान घाटी संघर्ष (15-16 जून 2020) के बाद 27 जून 2020 को की थी. इसी बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की 'एमपी-एमएलए कोर्ट' में मानहानि का मामला दर्ज किया. इस कार्रवाई को राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी.

न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक तो लगा दी, किंतु सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी ने देशव्यापी बहस छेड़ दी. यह भी उल्लेखनीय है कि जस्टिस दत्ता पहले भी राहुल गांधी को इसी तरह 'हड़का' चुके हैं.

ऐतिहासिक संदर्भ और न्यायपालिका की छवि

न्यायपालिका पर सवाल केवल इस मामले में नहीं उठे. कांग्रेस काल में इससे भी गंभीर उदाहरण रहे हैं— कांग्रेस के सांसद बहरुल इस्लाम 1972 में इस्तीफा देकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जज बने, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने, और बाद में न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर पुनः कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे. 1975 के आपातकाल के दौरान जस्टिस पी.एन. भगवती ने 'कमिटेड ज्यूडिशियरी' की अवधारणा को सही ठहराया, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा.

लेख की आवश्यकता- मैं राहुल गांधी का आलोचक रहा हूं और हूं. मेरा मानना है कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथ में रहेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर सहज रहेंगे. इसके बावजूद, न्यायालय की अप्रासंगिक और 'अवांछित' टिप्पणी पर लिखना आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका के हर शब्द का महत्व होता है.

मौखिक टिप्पणियों की स्थिति- संवैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार, विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) का स्थान सातवां है, जबकि न्यायमूर्ति का स्थान नौवां. क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दूसरे संवैधानिक पद की मर्यादा बनाए नहीं रखनी चाहिए? मौखिक टिप्पणिया न तो निर्णय का हिस्सा होती हैं, न ही बाध्यकारी. जैसे किसी राजनेता पर 'दुराशय' का आरोप लगाया जा सकता है, वैसे ही न्यायाधीश पर भी. यहां प्रश्न यह है—राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इन टिप्पणियों को वापस लेने या स्पष्ट करने का आवेदन क्यों नहीं दिया?

भारतीयता पर सवाल- यदि वे सच्चे भारतीय होते तो —यह टिप्पणी सकारात्मक नीयत से भी की जा सकती है, जैसे गुरु या माता-पिता कहते हैं—अच्छा नागरिक बनो. लेकिन, जब मामला राहुल गांधी की भारतीयता से जुड़ा ही नहीं था, तो यह टिप्पणी अप्रासंगिक हो गई. राहुल गांधी भारतीय हैं—यह निर्विवाद है. वे विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर आसीन हैं, जो इसकी पुष्टि करता है.

सबूत और सोशल मीडिया पर आपत्ति- राहुल गांधी से सबूत कहां हैं पूछना—क्या अब हर नेता को निजी जांच एजेंसी बनना होगा? नेताओं को जनता और मीडिया से प्राप्त सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है. जहां तक 'सिर्फ सोशल मीडिया' की बात है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. राहुल गांधी ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया है. भाजपा-कांग्रेस सांसद, सोनम वांगचुक और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी तक ने यही विषय उठाया है. लोकतंत्र संसद से सड़क तक फैला है- जैसा कि डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था, देश की सड़कें जब गूंगी या सूनी हो जाती हैं, तो उस देश की संसद आवारा हो जाती है.

-लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं.

न्यायाधीश की भूल और निष्कर्ष

जस्टिस दीपांकर शायद भूल गए कि जब डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया, तो 'राष्ट्रीय हित' का हवाला देकर अनुमति ही नहीं दी गई थी. कानून का सिद्धांत है—अज्ञानता कोई बहाना नहीं—यह न्यायाधीशों पर भी लागू होता है. उचित होगा कि माननीय न्यायाधीश अपनी टिप्पणी वापस लें, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता पर उठने वाले प्रश्न शांत हो सकें.